➢Publishing Date : January 31, 2019 ➢Total Number of Pages : Twenty
➢Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
# कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जनवरी, 2019 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री अरविन्द अग्रवाल वर्ष : 15, अंक : 8

# संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

गणतन्त्र दिवस की आप सब को बहुत–बहुत बधाई हो। आशा है कि आप सब नव वर्ष के लिए सारे कार्य पूरे कर चुके होंगे। पूरी तैयारी से बैठे होंगे। यद्यपि शीतगृहस्वामियों को इस वर्ष रख–रखाव के लिए बहुत कम समय मिला है परन्तु जो भी समय मिला था उस में कार्य तो पूरा करना ही था।

वर्ष 2018 का भन्डारण सत्र, काफी परेशानी वाला रहा, आलू का उत्पादन काफी कम था। शीतगृहस्वामियों ने देखा की इस उत्पादन से शीतगृह भर नहीं पायेंगे तो उन्होंने अधिक से अधिक लोन देकर आलू अपनी ओर खीचना शुरू कर दिया। प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और लोन की मात्रा सुरक्षित सीमा को पार कर गई। शीतगृह फिर भी ना भर पाए, इस कारण यह आशा बनी कि आलू के भाव तो अवश्य ऊँचे होंगे। ऊँचे लोन के आलू को भन्डारणकर्ता ने देर से निकालने की सोची कि जिससे आलू के दाम, उस पर लोन व कुछ मुनाफा वसूल हो सके। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। आलू के भाव उस स्तर तक नहीं पहुँचे जिसकी आशा की गई थी अतः ऊँचे लोन का आलू शीतगृहों में ही फँसा रह गया। जिसको कि कुछ शीतगृहों ने तो पूरी जनवरी, 2019 तक निकाला है और हो सकता है कि कुछ समय फरवरी, 2019 माह का भी लगाना पड़े हमारी शीतगृहस्वामियों को यह सलाह है कि ऐसी अवस्था को बार बार ना आने दे। यदि लोन देना आपकी मजबूरी बन जाती है, तो उसी मात्रा पर जाए जहाँ तक की लोन वसूल हो

पाने की सम्भावना हो। ऐसा ना हो कि भाड़े के साथ आप के लोन की रकम भी डूब जाए।

हम यह मानते है कि शीतगृहो में भन्डारण क्षमता काफी अधिक हो गई है लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम अपनी उगलियाँ भी जला लें।

अग्नि शमन के बारे में हम यह बताना चाहते है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शीतगृहों के लिए अलग से नियम बनाए जाए। अभी तक जो नियम बने है वह गोदामों के लिए है जो कि शीतगृहों पर भी लागू कर दिए। जब एसोसिएशन की ओर से यह प्रश्न उठाया कि शीतगृहों के लिए यह नियम वाछिंत नही है, तो सरकार ने माना और कहा कि हम शीघ्र ही नए नियम जारी कर देंगे।

अभी तक यह नियम सरकार द्वारा जारी नही किए गए है। जब आ जायेंगे हम सूचित करेंगे, तब तक के लिए सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश माना जाएगा।

सरकार का यह आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2018 का मान्य होगा। इस बिन्दु में यह दिया है कि आपको अग्निशमन सुविधा/उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र आपके द्वारा भी देय होगा या आपके यहाँ जिस भी कम्पनी ने अग्नि शमन उपकरण लगाए है, वह भी यह प्रमाण पत्र दे सकती है। यह कहीं नहीं लिखा है कि यह प्रमाण पत्र अग्नि विभाग द्वारा ही होना चाहिए। इसी प्रकार की प्रक्रिया, अभी तक चलती चली आई है।

प्रदूषण के सम्बन्ध में कृपया ध्यान दे कि शीतगृहों को अभी तक जारी नियमों के अनुसार Consent Fee देना अनिवार्य है। वर्ष जून, 2017 तक Air व Water Cess भी लगाया जा रहा है, जो कि देय होगा। जुलाई, 2017 से Water Cess व Air Cess नहीं लगेगा।

यदि ऐसा कोई नियम हमारे संज्ञान में आता है कि शीतगृहों से Consent Fee भी हटा दी गई है तो हम सूचित करेंगे।

## नवीनीकरण के सम्बन्ध में सरकारी आदेश :

संख्या : 58/2018/2938/58–2018–70/2017

प्रेषक,

संदीप कौर
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

उद्यान अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : 30 नवम्बर, 2018

**विषय : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्ध में**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या : 2411/58–2018–70/2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा उत्तर

प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम–1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुगम/सरल बनाये जाने की दृष्टि से गठित समिति की बैठक दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या–625/58–1–2002–100(3)/2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 को अतिक्रमित करते हुए कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही लाइसेन्सधारी से सूचना माँगी जाये :–

1. आवेदन–पत्र नियमावली में दिये गये प्रपत्र पर साफ–साफ भरा हो तथा उक्त प्रपत्र में उल्लिखित सभी सूचनायें स्पष्ट रूप से अंकित की जाए।
2. लाइसेन्स शुल्क/नवीनीकरण शुल्क कोषागार में जमा किये जाने की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए।
3. भवन सुदृढ़ता प्रमाण–पत्र के लिए कम से कम किसी डिग्रीधारक सिविल अभियन्ता से, जो कि सक्षम संस्था में पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
4. मशीनरी सुदृढ़ता एवं कार्यशीलता तथा अवशीतन क्षमता का प्रमाण–पत्र जो कम से कम किसी ऐसे डिग्रीधारक मैकेनिकल/रेफ्रिजरेशन अभियन्ता से, जो सक्षम संस्था से पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
5. शीतगृह के भवन की मशीनरी का आग, ब्रेकडाउन (चाहे यान्त्रिक एवं अन्य प्रकार का हो) या किसी प्रकार से होने वाली क्षति के लिए हो, के लिए गत वर्ष कराई गई बीमा पॉलिसी कवर नोट की सत्यापित प्रति।
6. शीतगृह संचालन के लिए आवश्यक विद्युत लोड स्वीकृत हो तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर की उपलब्धता हो। इस प्रयोजन हेतु लाइसेन्सधारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र पर्याप्त माना जाए।
7. शीतगृह की क्षमता के अनुसार शीतगृह पर अग्निशमन सुविधा/उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।
8. यदि शीतगृह पिछले वर्ष भण्डारित आलू में कोई क्षति हुई हो तो उसके सम्बन्ध में सूचना।
9. यदि शीतगृह पार्टनरशिप में चलाया जा रहा हो तो पार्टनरशिप के लिए पावर आफ एटार्नी द्वारा ही लाइसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना–पत्र हस्ताक्षरित हो तथा यदि लिमिटेड कम्पनी के अन्तर्गत चलाया जा रहा हो तो सक्षम मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र, साथ ही इस आशय की भी अण्डरटेकिंग दी जाय कि प्रबन्ध व्यवस्था में आवेदन की तिथि तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
10. शीतगृह स्वामी शीतगृहों का नवीनीकरण 01 वर्ष अथवा 05 वर्ष के लिए जारी प्रक्रिया के अनुसार ही करायेंगे।
11. भवन सुदृढ़ीकरण में शीतगृह भवन, मशीनरी तथा लकड़ी की रैक्स, बांस आदि की मरम्मत का प्रमाण–पत्र।
12. शीतगृह के नवीनीकरण के लिए अन्तिम विद्युत बिल के भुगतान की रसीद।

13. उ.प्र. प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
14. आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आलू भण्डारण के समय शीतगृहों द्वारा पावती रसीद जारी की जाये, जिसमें भण्डारण प्रभार, भण्डारण की अवधि (15 फरवरी, 30 नवम्बर तक) का उल्लेख करते हुए शीतगृह के सूचना पट पर भी अंकित की जाये।
15. शीतगृहों में आलू भण्डारण से पूर्व जारी किये जाने वाले किसान अधिकार पत्र में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी का सी.यू.जी. नम्बर तथा जिला उद्यान अधिकारी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जाये।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–3532/58–1–98–100(28)/98 दिनांक 16 अक्टूबर, 1998 में दी गयी समयावधि अनुसार नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया तथा नये कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस के प्रकरणों का निस्तारण समयानुसार सुनिश्चित किया जाए।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया
**(संदीप कौर)**
विशेष सचिव

संख्या : ————————(1)/58–1–2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र., 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बस्ती/सहारनपुर।
3. उप निदेशक, आलू निदेशालय उद्यान।
4. समस्त मण्डलीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (द्वारा निदेशक, उद्यान)।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
**(इन्दुबाला कटियार)**
संयुक्त सचिव

## सोलर पावर सयंत्र लगाने पर :

National Horticulture Board/National Horticulture Mission के द्वारा सब्सिडी फिर से लागू कर दी गई है जो कि 31 जनवरी तक ही लागू रहेगी जो कि 35 लाख प्रति 100 KW की दर का 35

प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 12.5 लाख रूपए बनती है। पूरी और सही जानकारी के लिए आप NHB/NHM से अवश्य पता कर ले और यदि सब्सिडी की अंतिम तारीख 31 जनवरी ही है और आप सोलर पावर संयंत्र लगाने के इच्छुक है तो सब्सिडी के लिए तुरन्त apply कर दें।

## लघु उद्योगों के लोन एकाउण्ट को ठीक करने के लिए भारतीय रिर्जव बैंक के दिशा निर्देश

दिनांक जनवरी 1, 2019 सर्कुलर नम्बर RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2019-19 से भारतीय रिर्जव बैक ने एक आदेश पारित किया है। इस आदेश को हमें श्री गोबिन्द कजरिया, अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने भेजा है जिसे हम यहाँ ऐसे का ऐसा अग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे है। इसमें वह यूनिट भी शामिल कर लिए गए है जिनके लिए GST Registration अनिवार्य नहीं है। इसे दिखा कर आप अपने बैकों से भी बात कर सकते है, यदि आप को अपने लोन में restructuring की जरूरत हो।

RBI/2018-19/100

DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 January 1, 2019

All banks and NBFCs regulated by the Reserve Bank of India

Dear Sir/ Madam,

**Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances**

1. Please refer to the circulars DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 dated February 07, 2018 and DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated June 6, 2018. In this regard, with a view to facilitate meaningful restructuring of MSME accounts {MSME as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006} that have become stressed, it has been decided to permit a one-time restructuring of existing loans to MSMEs classified as 'standard' without a downgrade in the asset classification, subject to the following conditions:
   i. The aggregate exposure, including non-fund based facilities, of banks and NBFCs to the borrower does not exceed 250 million as on January 1, 2019.
   ii. The borrower's account is in default but is a 'standard asset' as on January 1, 2019 and continues to be classified as a 'standard asset' till the date of implementation of the restructuring.
   iii. The borrowing entity is GST-registered on the date of implementation of the restructuring. However, this condition will not apply to MSMEs that are exempt from GST-registration.
   iv. The restructuring of the borrower account is implemented on or before March 31, 2020. A restructuring would be treated as implemented if the following conditions are met:

a. all related documentation, including execution of necessary agreements between lenders and borrower / creation of security charge / perfection of securities are completed by all lenders; and

b. the new capital structure and / or changes in the terms and conditions of the existing loans get duly reflected in the books of all the lenders and the borrower.

v. A provision of 5% in addition to the provisions already held, shall be made in respect of accounts restructured under these instructions. Banks will, however, have the option of reversing such provisions at the end of the specified period, subject to the account demonstrating satisfactory performance during the specified period as defined at paragraph 5 below.

vi. Post-restructuring, NPA classification of these accounts shall be as per the extant IRAC norms.

vii. Banks and NBFCs shall make appropriate disclosures in their financial statements, under 'Notes on Accounts', relating to the MSME accounts restructured under these instructions as per the following format:

| No. of accounts restructured | Amount (Rs. in million) |
|---|---|
| | |

viii. All other instructions applicable to restructuring of loans to MSME borrowers shall continue to be applicable.

2. Banks and NBFCs desirous of adopting this scheme shall put in place a Board approved policy on restructuring of MSME advances under these instructions within a month from the date of this circular. The policy shall, inter alia, include framework for viability assessment of the stressed accounts and regular monitoring of the restructured accounts.

3. It is clarified that accounts classified as NPA can be restructured; however, the extant asset classification norms governing restructuring of NPAs will continue to apply.

4. As a general rule, barring the above one-time exception, any MSME account which is restructured must be downgraded to NPA upon restructuring and will slip into progressively lower asset classification and higher provisioning requirements as per extant IRAC norms. Such an account may be considered for upgradation to 'standard' only if it demonstrates satisfactory performance during the specified period.

5. 'Specified Period' means a period of one year from the commencement of the first payment of interest or principal, whichever is later, on the credit facility with longest period of moratorium under the terms of restructuring package. 'Satisfactory Performance' means no payment (interest and/or principal) shall remain overdue for a period of more than 30 days. In case of cash credit / overdraft account, satisfactory performance means that the outstanding in the account shall not be more than the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for a period of more than 30 days.

Yours faithfully,

**(Saurav Sinha)**

Chief General Manager-in-Charge

## शीतगृहों में बच रहे आलू को वर्ष 2018 में ही निकाल कर समाप्त करने के सम्बन्ध में :–

पश्चिम बंगाल सरकार ने कई सुविधाए प्रदान करी है। यद्यपि इस विषय पर लगने वाली प्रभावी तारीखे समाप्त हो चुकी है फिर भी हम सबके लिए यह जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल ने कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी छूट शीतगृहों में भन्डारित आलू पर प्रदान करी है, वह सराहनीय है।

यहाँ हम पश्चिम बंगाल द्वारा दिए गए आदेश को दे रहे है जिसे पढ़कर आप विषय की यर्थाथता को समझ सके।

**Government of West Bengal**

Agricultural Marketing Department
Khadya Bhawan, Block-B, 4th Floor
11-A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700087
Telefax : 033-22520574

No. 1376-AM/O/4C-05/2013 Dated, Kolkata, the 30th November, 2018

**Notification**

In the current marketing year of 2018 a good quantity of potatoes was stored in the cold storages of West Bengal. Despite normal release throughout the marketing season a substantial quantity of potatoes is lying in the cold storages even now which will not be exhausted within the statutory period of storing up to 30.11.2018.

After careful consideration of the matter, the Governor is pleased to extend the storing period of potato up to 31.12.2018 in all the cold storages of West Bengal without allowing any additional rent upto 15.12.2018, and beyond the period of 15.12.2018 an extra rent @ Rs. 12/- per quintal could be charged from the users of cold storage space for this extended period.

All potatoes stored in the cold storages will have to be released by the 31st December 2018.

By order of the Governor
**Sd/- R.K. Sinha**
Secretary to the Government of West Bengal

No. 1376/1(14)-AM/O/4C-05/2013 Dated, Kolkata, the 30th November, 2018

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Agriculture Department, Govt. of West Bengal.
2. Finance Department, Govt. of West Bengal.
3. Co-operation Department, Govt. of West Bengal.
4. Panchayat & Rural Development Department, Govt. of West Bengal.
5. Chief Executive Officer, WBSAMB.

6. OSD to the Chief Secretary, Govt. of West Bengal.
7. Director of Agriculture, West Bengal.
8. Director of Agriculture Marketing, West Bengal.

She is requested to inform all concerned.

9. District Magistrate_____P.O._____Dist_____
10. President West Bengal Cold Storage Association, Diamond Heritage, 16, Strand Road, Room No. N 1010A, 10th Floor, Kolkata-700001.
11. Secretary, Paschimbanga Pragatishil Alu Babasyee Samity, Becharhat, PO : Sreepally, Burdwan.
12. PS to Hon'ble MIC, Agricultural Marketing Department.
13. Superintendent, Govt. Printing Press, Alipore, Kolkata-700027.

    He is requested to publish this Notification in an extra-ordinary issue of the Kolkata Gazette immediately.
14. Guard File.

**Joint Secretary to the Govt. of West Bengal**

## Government of West Bengal

Agricultural Marketing Department
Khadya Bhawan, Block-B, 4th Floor
11-A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700087
Telefax : 033-22520574

No. 1185-AM/P/2M-01/2017 Dated, Kolkata, the 3rd December, 2018

**Order**

Whereas, as a result of good production of potato during potato season 2018, a good quantity of potatoes was stored in the cold storages of the State of West Bengal.

**And**

Whereas, despite normal release throughout the marketing season a substantial quantity of potatoes was lying in the cold storages even at the end of the potato storing period ending 30-11-2018 resulting in severe distress in its selling price;

**And**

Whereas, the Governor has already been pleased to extend the storing period of potatoes to 31st December, 2018.

**And**

Whereas, after careful consideration the State Government is of the view that a market intervention scheme by way of encouraging inter-state trade and export out of the country

through Kolkata/Haldia port will help the farmers and small traders of this State to clear their surplus stock in the cold storages and arrest the sudden fall in potato prices.

Now therefore, the Governor is pleased to allow Administrative approval towards transport subsidy for inter-state trade and export out of the country to the potato growers/traders/exporters admissible in the following manner with effect from 03/12/2018 to 31/12/2018 (both days inclusive subject to strict adherence of the terms and conditions mentioned herein below) :-

1. Subsidy by road transport would be provided for inter-state trade movement @ Rs. 50/ Qtl. or actual fare, whichever is less, upon produciton of documents as mentioned herein after.
2. Subsidy for inter-state trade of potatoes @ Rs. 100/Qtl. or actual fare, whichever is less, by railway freight upon production of original documents from Railway Authorities.
3. Subsidy to export by ship from Kolkata/Haldia port @ Rs. 100/Qtl. or actual shipment charge, whichever is less, upon production of shipment receipt from the Kolkata Port Authority.
4. Subsidy for export to Bangladesh by railway freight @ Rs. 100/Qtl. or actual fare, whichever is less and for export to Bangladesh/Nepal/Bhutan by road transport @ Rs. 50/Qtl. or actual fare, whichever is less.

## शीतगृहों में शौचालयों की आवश्यकता :–

कृपया ध्यान दे कि हर शीतगृह में समस्त भन्डारणकर्ताओं के लिए स्वच्छ और प्रयोग में लाए जा सकने वाले शौचालयों का होना अत्यन्त अनिवार्य है। कृपया अपने शीतगृह में भी देख ले कि ठीक प्रकार से शौचालय बने हुए है या नहीं। इस सम्बन्ध में जनपद फिरोजाबाद में एक शिकायत दर्ज हुई है जिसमें जिला उद्यान अधिकारी ने कठोर निर्देश दिए है। यह सूचना हमें श्री हरी प्रकाश छाबडा, फिरोजाबाद ने भेजी है। यह बिलकुल अच्छा नहीं लगता कि किसी भी शीतगृह की शिकायत इस विषय पर आए कि उसके पास सही शौचालय नहीं है। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा दिया निर्देश हम यहाँ प्रकाशित कर रहे है।

## कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, फिरोजाबाद

पत्रांक : 1196–2000 / शीत. / 2018–19 दिनांक 27.11.2018

समस्त शीतगृह स्वामी,
जनपद फिरोजबाद

प्रगतिशील कृषक श्री लोकेश कुमार, ग्राम–नगला राधे, विकास खण्ड–मदन जनपद–फिरोजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 26.11.2018 द्वारा अवगत कराया है कि जनपद फिरोजाबाद ओ.डी.एफ. घोषित हो चुका है। जबकि जनपद के संचालित शीतगृहों में अब भण्डारण के समय कृषक / पल्लेदार शौच के लिये खुले मैदान या खेत में जाते हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने शीतगृहों शौचालय की व्यवस्था अवश्य कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अविलम्ब अवगत करा सुनिश्चित करें। जिससे कृषकों/पल्लेदारों को खुले में शौच को न जाना पड़े। उक्त कार्य शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करें।

**जिला उद्यान अधिकारी**
फिरोजाबाद

पृष्ठांकन सं. :————————/दिनांकित

प्रतिलिपि : (1) जिलाधिकारी महोदया, फिरोजाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) मुख्य विकास अधिकारी महोदया, फिरोजाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(3) अध्यक्ष, शीतगृह एसोसिएशन, जनपद–फिरोजाबाद।
(4) उपाध्यक्ष, शीतगृह एसोसिएशन, जनपद–फिरोजाबाद।

**जिला उद्यान अधिकारी**
फिरोजाबाद

## आपरेशन ग्रीन के सम्बन्ध में :

आपरेशन ग्रीन की सम्भावनाओं पर आगरा में एक सेमिनार हुआ जिसे Shri R.K Tomar DD Potato व उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश श्री राजेश गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में, नीचे दिए हुए चित्र में, श्री राजेश गोयल भाषण देते हुए दिखाई दे रहे है।

## शीतगृहों की भन्डारण क्षमता के आंकलन के सम्बन्ध में :–

हमने पिछले अंक में भी इस विषय पर चर्चा की थी। अब हमें इस विषय पर उद्यान विभाग में होने वाली मीटिंग की कार्यवाही का विवरण प्राप्त हुआ है।

सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूला (Formula) से शीतगृहों की जो भन्डारण क्षमता निकल रही थी जबकि वही क्षमता बागवानी बोर्ड के फार्मूला से कुछ और आ रही है। आशा है इस पर मत एक हो जाऐगा और प्रदेश की सही भन्डारण क्षमता निकल आऐगी और यह भी पता लग जाएगा कि कौन सी क्षमता के शीतगृह को बागवानी बोर्ड में या बागवानी मिशन में जाना चाहिए। यहाँ हम उपरोक्त बैठक की कार्यवृत्ति प्रस्तुत कर रहे है।

## प्रदेश में स्थापित होने वाले कोल्ड स्टोरेज की पूर्व प्रचलित भण्डारण क्षमता एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की गाइड लाइन के पैरा–747 के अनुसार आंकलित की जाने वाली भण्डारण क्षमता के एक समान निर्धारण के मानक तय करने हेतु निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र. के अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवृत्ति :–

**(क) उपस्थिति :** सर्वश्री डॉ. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र. डॉ. एस.बी. शर्मा, संयुक्त निदेशक (खा.प्र.), डॉ. अतुल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (उद्यान), डॉ. आर.के. सिंह, सहायक नोडल अधिकारी, एम.आई.डी.एच., श्री जे.के. गुप्ता एवं श्री धर्मेन्द्र नाथ पाण्डेय (से.नि.), श्री ए.के. मिश्र, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, लखनऊ, श्री प्रवीन कुमार, खाद्य प्रसंस्करण मिशन, श्री अरविन्द अग्रवाल एवं श्री अनुग्रह नारायण, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन एवं डॉ. आर.के. तोमर, संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (आलू), निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र.।

सर्वप्रथम निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र. की अनुमति से डॉ. आर.के. तोमर, संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (आलू) द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रदेश के निजी शीतगृहों की संख्या एवं उनकी भण्डारण क्षमता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

2. उप निदेशक (आलू) द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्षों से नवीन शीतगृहों की विस्तार एवं स्थापना कराये जाने हेतु एक घन मीटर में 3.20 कुन्तल या 0.320 टन की भण्डारण क्षमता मानकर अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति जारी किये जाने की व्यवस्था संचालित हो रही थी, किन्तु एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से राज्य सहायता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में एक घन मीटर में 2.94 कुन्तल या 0.294 टन भण्डारण क्षमता का आंकलन किये जाने के कारण भण्डारण क्षमता में अन्तर आ जाने से अनुदान सहायता स्वीकृत किये जाने में कठिनाई हो

रही थी। इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं जिला उद्यान अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया गया। उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था 80 किग्रा. की बोरी में आलू भण्डारण के समय से चली आ रही है। वर्तमान समय में शीतगृहों में 50 किग्रा. क्षमता की बोरियों में आलू का भण्डारण किये जाने से बोरी के आकार छोटा होने एवं संख्या बढ़ जाने के कारण उतने ही स्थान में आलू की 4 बोरियाँ (80 किग्रा.) के स्थान पर आलू की 50 किग्रा. क्षमता की अधिकतम 6 बोरियाँ भण्डारित हो पाती है, जिससे भण्डारण क्षमता में कमी आयेगी तथा यह कमी लगभग 8.125 प्रतिशत होगी। इस पर समस्त सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति जारी किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

## शीतगृहो में क्या वस्तु भन्डारित की जा सकती है का अधिकार :–

हमसे यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि शीतगृहों में क्या क्या पदार्थ भन्डारित किए जा सकते है। इस सम्बन्ध में हम यहाँ बताना चाहते है कि शीतगृह लाईसेन्स प्राप्त शीतगृहों में सारे कृषि उत्पाद का भन्डारण किया जा सकता है, न कि सिर्फ आलू का।

शीतगृह उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अर्न्तगत संचालित किए जाते है। इस अधिनियम के Section 2 (क) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि, कृषि उत्पाद के अर्न्तगत कृषि या उद्यान के उत्पादन, पशुपालन या मत्स्य संर्वधन और ऐसे समस्त खाघ्य या पेय पदार्थ है जो पूर्णतः या अशंतः इसमें से किसी से निर्मित हो। अतः अधिनियम 1976 के अर्न्तगत प्राप्त हुए शीतगृह लाईसेन्सधारी का यह अधिकार है कि वह आलू के अलावा गाजर, मटर, चुकन्दर, किराने के सामान, फल, मीट, मछली आदि कुछ भी खाद्य पदार्थ भन्डारित कर सकता है। अतः यह कहना गलत है कि शीतगृह लाईसेन्स केवल आलू के लिए दिया गया है या आपने एक बार जिला उद्यान अधिकारी को यह लिख कर भेज दिया है कि आप आलू भन्डारित करेंगे तो अब आप अन्य कृषि उत्पाद भन्डारित नहीं कर सकते। ऐसा लिखने से आपका अन्य कृषि पदार्थ भन्डारित करने का अधिकार छिन नहीं जाता ।

इस अधिनियम 1976 के साथ एक नियमावली भी बनाई गई है इस नियमावली का Section 8 निम्न प्रकार है।

'लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादों से विपरीत अथवा गन्ध विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाले उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।'

इस नियमावली के अनुसार आप एक कक्ष में इस प्रकार के कृषि उत्पाद नहीं भन्डारित करेंगे जो

एक दूसरे के विपरीत हो या गंध विरोधी हो यदि ऐसा है तो उन्हे आप अलग कक्षों में रखेंगे। कृषि उत्पादों से विपरीत का अर्थ है कुछ उत्पाद ऊचे तापमान पर रखे जाते है और कुछ नीचे तापमान पर रखे जाते है। उनको यदि एक साथ रख दिया जाऐगा तो उन में से एक कृषि उत्पाद खराब होने की सम्भावना बनी रहेगी। यहाँ पर गन्ध विरोधी का तात्पर्य है कि ऐसा कृषि उत्पाद जो कि ऐसी गन्ध मारता हो जिसे अन्य किसी कृषि उत्पाद के ऊपर असर पड़े जैसे लाल मिर्च का भन्डारण अलग कक्ष में ही करना चाहिए। इसकी गन्ध का असर अन्य पदार्थ पर पड़ने की सम्भावना रहती है।

जहाँ तक हो, आलू के भन्डारण करते समय उसी कक्ष में पहले से ही फल अण्डे हरी सब्जी आदि भन्डारित नहीं होनी चाहिए। क्योकि उस समय कक्ष का तापमान ऊपर नीचे होता है और कोई भी पहले से भन्डारित खाद्य पदार्थ खराब हो जाऐगा। मीट, मछली आदि के लिए तो –18 (Minus 18 से Minus 25) –25 डिग्री Centrigrade के कक्ष ही अनिवार्य है।

## शीतगृहों द्वारा कब तक आलू भन्डारित करते रहे जब तक किसान निकालने नहीं आता

यह एक वह प्रश्न है जिसे हमसे बहुत अधिक शीतगृह बार बार पूछ रहे है। इस सम्बन्ध में अधिनियम 1976 की धारा 17 (1) वा (2) पर ध्यान दे जो कि इस प्रकार है।

## कोल्ड स्टोरेज में माल खराब होना और उसका निस्तारण

17 (1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया माल ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियन्त्रण से परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की सम्भावना हो या किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल को रसीद में उसके लिये विनिर्दिष्ट दिनांक से, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेन्सधारी किराया को तुरन्त उसका नोटिस देगा जिसमें सम्यक् रूप से उन्मोचित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेन्सधारी को देय समस्य प्रभार का भुगतान करने के पश्चात माल को तुरन्त उठाने की उपेक्षा की जायेगी, और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी को भेजेगा।

17 (2) जहां किरायादाता उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन, उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे वहां लाइसेन्सधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किराया के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है।

परन्तु लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिक्री की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घण्टे पूर्व देगा, और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिक्री का पयवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा।

**स्पष्टीकरण** : सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार में कमी या नहीं सोखने के कारण तौल या

भार में वृद्धि को इस धारा के अर्थान्तगर्त खराब होना समझा जायेगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो, जिसे लाइसेन्स अधिकारी समय समय पर विभिन्न क्षेत्रो की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करे।

इन धारा के अनुसार यदि आपको लगे कि शीतगृह में भन्डारित कृषि पदार्थ खराब होने की दशा में है और उसे ठीक रख पाना आपके नियंत्रण के बाहर है तो आप एक Registered नोटिस भन्डारणकर्ता को देंगे और साथ में उसकी सूचना जिला अधिकारी जो की Licencing अधिकारी होता है को भेजेंगे। आपके द्वारा भेजे गए नोटिस के तामिल हो जाने के 7 दिन के बाद आप निलामी की प्रकिया चालू कर सकते है। आपके द्वारा नोटिस भेजने के 15 दिन इन्तजार करने पर व जिला अधिकारी को सूचना भेजने पर यह मान लिया जाएगा कि आपके द्वारा भेजा गया नोटिस भन्डारणकर्ता पर तामील हो गया है उसके 7 दिन के अन्दर भी अगर भन्डारणकर्ता माल नहीं निकालता तो निलामी की प्रक्रिया चालू करवा सकते है लेकिन ध्यान रहे कि निलामी की प्रक्रिया करवाने से पहले आप जिला अधिकारी को दो दिन पहले यानि 48 घण्टे पहले सूचना अवश्य भेजेंगे। धारा 17 में यह प्राविधान दिया है कि सूखा तौल या भार में कमी आदि कारण माल खराब होने की श्रेणी में आते है। यह प्रक्रिया तो आलू के मामले में हर आलू में शुरू हो जाती है जो कि 31 अक्टूबर के बाद तक भन्डारित रहता है अतः आप 31 अक्टूबर के बाद किसी भी भन्डारणकर्ता को यह नोटिस भेज सकते है कि आप के यहाँ भन्डारित आलू अब खराब होने लगा है और उसे सुरक्षित रख पाना आपके बस में नहीं है। यदि आप शुरू नवम्बर में ही अपने यहाँ से नोटिस रवाना कर देते है तो नवम्बर के अन्त तक आप पूरे आलू से छुटकारा पा सकते है। दूसरा सवाल शीतगृह पूछते है कि हम नवम्बर माह का अतिरिक्त भाड़ा ले सकते हैं? तो हमारा कहना है कि नवम्बर माह का अतिरिक्त भाड़े के बारे में शुरू में ही अवश्य लिखकर दीजिए फिर आपकी मर्जी पर है चाहे लें या ना लें। इस तरह अतिरिक्त भाड़े के दबाव में आपके यहाँ माल जल्दी–जल्दी निकलेगा।

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित